प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00105/2025-2026 | दिनांक 28/04/2025

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/GHA/01282/2025-2026   पत्रावली संख्या:59901-M   दिनांक:2014-2015

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **सरस्वती शिक्षा संस्कार समिति, गोधाराम फार्म हाउस, गंगा विहार कॉलोनी, मुरादनगर, जिला गाज़ियाबाद, गाजियाबाद, 201206** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 878 दिनांक-03/11/2014 को दिनांक-04/11/2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1200 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(RISHABH KUMAR AGRAWAL)
51956BC79825622FF1057D2BDDF1F60578F2F1F0
Date: 28/04/2025 6:36:19 PM, Location: Ghaziabad.

जारी करने का दिनांक-28/04/2025

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य है| इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध व्यक्तिके किसी दावे , अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है| इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा|

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 62AE 780480

यह जनरल स्टाम्प पेपर सरस्वती शिक्षा संस्थान समिति

....

जिला [illegible] पत्रावली सं० M. 59901

संलग्न : [illegible]

सत्य प्रतिलिपि

फो० म०आ० / पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
23/01/23

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

62AE 780481

यह जनरल स्टाम्प पेपर श्री सरस्वती शिक्षा संस्थान समिति

....

जिला गाजियाबाद पत्रावली सं० M-59901

[illegible] नियमावली संलग्न है।

सत्य प्रतिलिपि

फो० मु० अ०/पटल सहायक

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ

23/01/23

Scanned with OKEN Scanner

संशोधित– नियमावली

1–	संस्था का नाम	:	सरस्वती शिक्षा संस्कार समिति।
2–	संस्था का पूरा पता	:	गोधाराम फार्म हाउस, गंगा विहार कालोनी, मुरादनगर, जिला– गाजियाबाद (उ0प्र0)।
3–	संस्था का कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4–	संस्था के उद्देश्य	:	स्मृति–पत्र के अनुसार होंगे।

5– संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :–

क– सदस्यता :–

जो सज्जन 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, नैतिक आचरण वाला हो, दिवालिया, पागल न हो, संस्था के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो, सदस्य बन सकेगा।

ख– सदस्यों के वर्ग :–

अ– आजीवन सदस्य :–

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुए संस्था को एक मुश्त 5000/– रू0 नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, आजीवन सदस्य कहलायेगा।

ब– सामान्य सदस्य :–

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुए संस्था को एक मुश्त 500/– रू0 नकद वार्षिक शुल्क देगा, सामान्य सदस्य कहलायेगा।

स– संस्थापक सदस्य :–

स्मृति पत्र के अनुसार या जो सज्जन 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुए एक मुश्त 50,000/– रू0 नकद शुल्क देगा, संस्थापक सदस्य कहलायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

फो0 म0 आ0/पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
23/6/23

Yogender Singh   Panwar   Renu Devi   विनोद

Scanned with OKEN Scanner

6– सदस्यता की समाप्ति :–

1– सदस्य की मृत्यु होने पर ।

2– सदस्य द्वारा दिये गये त्याग–पत्र की स्वीकृति होने पर।

3– संस्था की सदस्यता शुल्क अदा न करने पर।

4– सदस्य को दिवालिया अथवा पागल घोषित होने पर।

5– संस्था की तीन मीटिंग में बिना किसी कारण लगातार अनुपस्थिति रहने पर।

6– संस्था के विरूद्ध नीतियों, कार्यो में दोषी अथवा संलिप्त पाये जाने पर।

7– किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।

7– संस्था के अंग :–

क– साधारण सभा ।

ख– प्रबन्धकारिणी समिति

8– साधारण सभा :–

क– गठन :– संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर बनाया गया समूह साधारण सभा कहलायेगी।

ख– बैठकें :– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार एवं विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

ग– सूचना :– सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैंसेजर द्वारा दी जायगी।

घ– कोरम :– साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल संख्या का दो तिहाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक के लिए कोरम की पाबन्दी न होगी, यदि उन्हीं विषयों पर विचार होता हो।

ङ– विशेष वार्षिक अधिवेशन :–

संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार हुआ करेगा जिसकी तिथि प्रबन्धसमिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

V. Kumar

Yougender Singh

सत्य प्रतिलिपि

Renu Devi फोटो म० आ० / पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
28/01/23

फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स ... मण्डल, मेरठ (उ०प्र०)

Scanned with OKEN Scanner

च– साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1– संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।

2– संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट आदि को पास करना।

3– संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन 2/3 बहुमत से करना।

4– संस्था की नीति निर्धारित करना।

9– प्रबन्धकारिणी समिति :–

क– गठन :– संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा होगा। जिसमें अध्यक्ष– एक, उपाध्यक्ष– एक, सचिव– एक, उपसचिव– एक, कोषाध्यक्ष– एक एवं शेष सदस्यगण होगे। कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या कम से कम 7 तथा अधिकतम 15 होगी तथा आवश्यकता पडने पर सदस्य संख्या– घटाई बढ़ाई जा सकती है।

ख– बैठकें :– सामान्य बैठक वर्ष में दो बार एवं विशेष बैठक कभी भी अध्यक्ष के निर्देशन पर बुलाई जा सकती है।

ग– सूचना :– सामान्य बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैसेंजर द्वारा दी जायेगी।

घ– कोरम :– प्रबन्धकारिणी समिति का बैठक का कोरम तीन चौथाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक की पाबन्दी न होगी, यदि उन्ही विषयों पर विचार होता हो।

ङ– रिक्त पद की पूर्ति :–

प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल की अवधि के लिए कर लेगी।

च– कार्यकाल :– प्रबन्धसमिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

V. Panwar

Yogender Singh

Renu Devi

सत्य प्रतिलिपि
विनोद
फो० म० मा०/पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
23/01/23

च– प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1– संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन करना।

2– संस्था द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों आदि के संचालन हेतु उपसमिति का गठन करना, एडवोकेट, कर्मचारियों, अधिकारियों की नियुक्ति करना।

3– संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, बजट आदि को तैयार कराना।

4– प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद की पूर्ति करना।

5– संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, चन्दा, ऋण, बैंक द्वारा ऋण, अनुदान, भूमि, भवन, चल, अचल सम्पत्ति विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव पारित करना।

10– **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–**

अध्यक्ष :–

1– संस्था की समस्त प्रकार की सभाओं की अध्यक्षता करना।

2– बैठकों के लिए समय, दिनांक आदि का अनुमोदन करना एवं बैठकों की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना।

3– समान मत होने पर अपना निर्णायक मत देना।

4– अध्यक्ष को अपने विवेक से रू. 2000/– विशेष परिस्थितियों में व्यय करने का अधिकार होगा।

5– संस्था की ओर से विभिन्न कार्यालया, विभाग से समस्याओं के निदान हेतु पत्र व्यवहार व पैरवी करना।

6– बैठकों की कार्यवाही लिखना एवं अभिलेख पूर्ण कराना।

7– संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना एवं मूल अभिलेखों, बाऊचरों पर हस्ताखर करना एवं आवश्यकता पडने पर उनको प्रमाणित भी करना।

Yougendra Singh V. Panwar Renu Devi

सत्य प्रतिलिपि
फीस मु० आ०/पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
25/01/23

8– संस्था के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम संस्थानों आदि के संचालन हेतु समस्त प्रकार की संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।

9– संस्था के द्वारा संचालित यूनिट, संस्थान, आदि के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, डिमोशन आदि सम्बन्धी कार्यवाही करना।

10– संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान–अनुदान, चन्दा, ऋण, चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों, विभागों, बैंक आदि से सम्पर्क कर प्राप्त करना। संस्था के हित में कार्य करना।

उपाध्यक्ष :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपाध्यक्ष को निहित होंगे।

सचिव :–

1– संस्था के हित में संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक बजट तैयार करना।

2– संस्था के संचालन हेतु होने वाले कार्यों पर नजर रखना एवं अध्यक्ष को अवगत कराना।

3– संस्था के कर्मचारी/सदस्यों के त्याग पत्र अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद संस्तुति करना।

4– संस्था के हित में कार्य करना। अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार प्रबन्धकारिणी समिति साधारण सभा की बैठक बुलवाना।

उपसचिव :– सचिव की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपसचिव को निहित होंगे।

Yougender Singh

V. Panwar

Renu Devi

सत्य प्रतिलिपि

कनि० स० आ०/पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
23/01/23

Scanned with OKEN Scanner

कोषाध्यक्ष :–

1– संस्था के रोकड से सम्बन्धित सभी अभिलेख तैयार करना, उनमें धनराशि का इन्द्राज करना।

2– संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट तैयार कराकर बैठक में प्रस्तावित करना।

3– अध्यक्ष तथा सचिव के द्वारा सौंपे गये कार्य करना।

11– नियमों–विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :–

संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन प्रक्रिया प्रबन्धसमिति के अनुमोदन होने के दस दिन बाद साधारण सभा की बैठक में दो तिहाई बहुमत पूर्ण होने पर संशोधन/परिवर्तन मान्य होगा।

12– संस्था का कोष :–

संस्था का कोष संस्था के नाम से किसी भी बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा जिसका संचालन संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

13– आय व्यय लेखा परीक्षण :–

संस्था के आय व्यय का वार्षिक आडिट प्रबन्धसमिति द्वारा नियुक्त आडिटर अथवा सी0ए0 द्वारा कराया जायेगा, जोकि पहली अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।

14– कानूनी कार्यवाही :–

संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की जायेगी।

15– अभिलेख :–

सदस्यता रजिस्टर, आम सभा सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, प्रबन्धसमिति सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, चन्दे व अन्य प्राप्ति की

Yogendra Singh V. Panwar

Renu Devi

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
प्रो० म० आ०/पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
23/01/22

Scanned with OKEN Scanner

रसीद बुक, खर्चो के बिल बाउचर, कैश बुक, लेजर, बुक, एजेण्डा पंजिका आदि अन्य अभिलेख जो भी आवश्यक हो रखे जायेगें।

16– विघटन :–

संस्था की विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

17– प्रतिबन्धो की बाध्यता :–

1– विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2– विद्यालय की प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5– संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

6– कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

V. Panwar

Yougender singh

Rany Devi

सत्य प्रतिलिपि

फो० म० आ०/ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
23/6/23

Scanned with OKEN Scanner

7– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

8– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9– उत्तर प्रदेश शिक्षा संहित की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।

10– उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

11– विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जा रही है तथा भविष्य में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाई जायेगी।

दिनांक :–

सत्यप्रतिलिपि।

V Panwar

विनोद

Ramu Devi

Yogender Singh

सत्य प्रतिलिपि

फ़ो० म० आ०/प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
23/6/23

संशोधित– स्मृति पत्र

1– संस्था का नाम : सरस्वती शिक्षा संस्कार समिति।

2– संस्था का पूरा पता : गोधाराम फार्म हाउस, गंगा विहार कालोनी, मुरादनगर, जिला– गाजियाबाद (उ0प्र0)।

3– संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

4– संस्था के उद्देश्य : निम्नलिखित होंगे :–

1– समाज के सभी वर्ग के उपेक्षित एवं गरीब और कमजोर, बेसहारा वर्ग के विकासन्मुख हेतु हर सम्भव प्रयास करना।

2– समाज में शिक्षा का प्रचार–प्रसार कर जनता को इसके प्रति जागरूक करना।

3– समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन, गोष्ठियों का आयोजन करना एवं वाद–विवाद, ज्ञान–विज्ञान, सामान्य ज्ञान क्रीडा एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना।

4– विद्यार्थियों को समस्त प्रकार की शिक्षण एवं प्रशिक्षण सुविधा मुहैया कराने हेतु केन्द्रों की स्थापना कर संचालन करना।

5– पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाने हेतु जनता को जागरूक करने हेतु उन्हें न्याय सुलभ एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आदि का संचालन करना।

6– सरकार के निर्देशानुसार लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना तथा उनके कल्याण के लिये प्रयास करना।

7– राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक भाषा, संस्कृति एवं कला के प्रचार प्रसार तथा विकास के लिये प्रयास करना।

8– समुदाय में पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, नशा मुक्ति, परिवार कल्याण, परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण भूमि सुधार तथा वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिये प्रयास करना तथा सरकारी, अर्धसरकारी एंव गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलायें जा रहे सम्बन्धित कार्यक्रमों में सहयोग करना।

9– समाज में व्यवसायिक शिक्षा, यातायात नियमों तथा आत्म सुरक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करना।

10– जनहितार्थ, चिकित्सालय, अनाथालय, छात्रावास व्यायामशाला, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, शिशु पालन गृह, बालबाडी, आगनबाडी आदि की स्थापना व संचालन करना तथा पुष्ठाहार प्रदान करना।

11– ग्रामीण तथा शहरी स्वच्छता, शुद्ध पेयजल एवं जल व भूमि प्रबन्धन कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।

Yougender Singh ओम उर्वेश

आशुतोष Ranu Devi

सत्य प्रतिलिपि

आशुतोष

फो0 म0 आ0/प्रज्ञ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
23/01/23

12– सरकारी, अर्धसरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा शिक्षा तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित चलाये जा रहे कार्यक्रमों में सहयोग करना तथा स्वयं भी प्रयास करना। योग शिविर, योग कार्यक्रम व योग सम्बन्धित प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

13– नगरीय एवं ग्रामीण समुदाय तथा किसानों के कल्याण के लिये प्रयास करना तथा सरकारी, अर्धसरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे सम्बन्धित कार्यक्रमों में सहयोग करना।

14– जन साधारण के लिये ज्ञानवर्धन हितार्थ पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना।

15– महिलाओं/बालिकाओं/युवाओं को सिलाई, कढाई, बुनाई, शिल्प कला, ललित कला, संगीत, नृत्य, थियेटर, अभिनय, फोटोग्राफी, क्रियेटिव राईटिंग, फेशन शो एवं डान्स कम्पटीशन, फैशन डिजाईनिंग, चिकन, जरी, डालमेकिंग, फ्लावर मेकिंग, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, पिन्टिंग, आफसेट प्रिन्टिंग, पेन्टिंग, वाल पेन्टिंग आदि का प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।

16– युवाओं में खेल के प्रति रूचि तथा उनकी प्रतिभा को निखारने के लिये खेल–आकादमी की स्थापना करना तथा खिलाडियों को देश विदेश में खेल प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिये प्रोत्साहित करना।

17– विभिन्न अनुसंधानों के प्रोत्साहन के लिये अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना कर संचालन करना। पत्र–पत्रिकाओं एवं पुस्तकों का प्रकाशन करना।

18– शैक्षिक विकास हेतु प्राईमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा हेतु विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना व संचालन करना।

19– समाज में व्याप्त बुराईयां जैसे बाल श्रम, दहेज प्रथा के प्रति समाज को जागृत करना एवं समाप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना। संक्रामक रोग जैसे एड्स, पोलियो आदि के प्रति बचाव हेतु समाज में सुझाव/जानकारी देना।

20– आपातकालीन परिस्थितियों जैसे भुकम्प, अग्निकांड, बाढ़, महामारी व अन्य प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ितों को राहत सामग्री आदि सुविधायें उपलब्ध कराना।

21– निर्धन व अनाथ बालक/बालिकाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना तथा आवश्यक सामग्री वितरित करना।

Jogender Singh   आशुतोष   आशुतोष

Ranu Devi

V. Panwar

सत्य प्रतिलिपि

फो० म० आ०/[illegible] सहायक
कार्यालय [illegible] रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
23/11/23

Scanned with OKEN Scanner